प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: हाऊस बुलाया जाता है मीटिंग के लिए, वोट आफ कांफीडेन्स के लिए, उसके बिना ही हाऊस एडजोर्न कर दिया जाता है।...(**व्यवधान**)... यह लोकतंत्र की हत्या है।...(**व्यवधान**)...

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: लोकतंत्र की हत्या करने वालों को ऐसी मनमानी नहीं करने दी जा सकती।...(**व्यवधान**)... लोकतंत्र की हत्या करने वालों के साथ बैठकर हम यहां काम नहीं कर सकते।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: This is an independent House. (*Interruptions*)

SHRI C.M. IBRAHIM: let the question Hour be over. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: I adjourn the House until 12o' clock.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दूरदर्शन केन्द्रों में स्थानांतरण-नीति

443. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:**
श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन केन्द्रों में अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्धारित प्रशासनिक स्थानांतरण-नीति क्या है;

(ख) किसी स्थान पर किसी कर्मचारी की तैनाती की निर्धारित समयावधि कितनी है;

(ग) क्या सरकार की निर्धारित स्थानांतरण-नीति का दूरदर्शन महानिदेशक द्वारा अपने कर्मचारियों के स्थानांतरण के मामले में उल्लंघन किया जा रहा है;

(घ) क्या राजकोट दूरदर्शन केन्द्र में कुछ कर्मचारियों को दस वर्ष से भी अधिक समय से तैनात किया गया है; और

(ङ) निर्धारित समयावधि से भी अधिक समय से तैनात ऐसे कर्मचारियों को गुजरात राज्य से बाहर स्थानांतरित करने हेतु महानिदेशक द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम): (क) और (ख) स्थानान्तरण नीति के अनुसार, सार्वजनिक सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, "क" और "ख" श्रेणी के केन्द्रों/कार्यालयों में सामान्य सेवाकाल 4 वर्ष और "ग" श्रेणी के केन्द्रों में 2 वर्ष होगी। इसमें यह भी व्यवस्था है कि "क" और "ख" श्रेणी के केन्द्रों में तैनात अराजपत्रित कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में 4 वर्ष के सामान्य सेवाकाल की समाप्ति के बाद इसे रूटीन नहीं बनाया जाना चाहिए।

(ग) जी, नहीं। तथापि, किसी जायज परेशानी के मामले में, निर्धारित सेवाकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरण पर विचार किया जाता है। इसी प्रकार, सार्वजनिक सेवा संबंधी अत्यावश्यकता वाले मामलों में, किसी व्यक्ति को निर्धारित सेवाकाल पूरा होने के बाद भी किसी केन्द्र पर बनाए रखा जा सकता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) दूरदर्शन द्वारा प्रशासनिक अपेक्षाओं तथा सेवा संबंधी अत्यावश्यकताओं जैसे पहलुओं पर निर्भर करते हुए समय-समय पर विभिन्न ग्रेडों के कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाता है।

Congenital Blindness amongst children due to maternal Malnutrition

*444. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that maternal malnutrition is one of the major causes for congenital blindness the children in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have conducted any survey to find out congenital blindness amongst children in Madhya Pradesh;

(d) if so, the findings thereof; and if not, the reasons therefor; and

(e)what steps Government have taken for proper antenatal care of the pregnant mothers to prevent congenital blindness in the country particularly in Madhya Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Congenital blindness is a rare disorder and it is not cost effective to conduct a survey for this purpose.